भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1862

दिनांक 28 **जुलाई**, 2022

हाइड्रो कार्बन उद्योग

†1862. **श्री पी.आर.नटराजन**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में हाइड्रो कार्बन उद्योगों के लिए किए गए तेल अन्वेषण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और खोजे गए तेल क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इस अन्वेषण के कारण अब तक हुई लोगों की मृत्यु और पारिस्थितिकी को हुए नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पारिस्थितिकी नुकसान और मानव मृत्यु से बचने के लिए सरकार के द्वारा क्या सुरक्षा उपाए किए गए हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क): पूर्वोत्तर राज्यों में तेल/गैस क्षेत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**पूर्वोत्तर राज्य**	**तेल/गैस क्षेत्रों की संख्या**
1.	अरुणाचल प्रदेश	11
2.	असम	91
3.	नागालैंड	3
4.	मिजोरम	2
5.	त्रिपुरा	15

स्रोत – ओएनजीसी, ओआईएल और डीजीएच

(ख) और (ग): तेल और गैस के लिए वेधन संबंधी कार्यकलाप करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ईसी) लेना अनिवार्य है। ईसी प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए) एक पूर्व-शर्त है। ईआईए रिपोर्ट में पर्यावरणीय पहलुओं और प्रस्तावित वेधन परियोजना से पड़ने वाले प्रभाव की पहचान की जाती है तथा इस प्रभाव को कम करने के उपाय किए जाते हैं। संबंधित राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) विनिर्दिष्ट शर्तों के माध्यम से ऐसे कार्यकलापों से सुरक्षा प्रदान करता है। उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण

संबंधी मंजूरी में निर्धारित किए गए सभी पर्यावरणीय संरक्षण उपायों और सुरक्षा का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। ईसी के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्थानीय जनसामान्य सहित सभी पणधारकों के साथ परामर्श किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों, यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन हेतु स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है।

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) को सौंपे गए रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राज्य में 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट नहीं किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के तहत तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) एक तकनीकी निदेशालय है जो सुरक्षा संबंधी मानदंड बनाता है। तेल और गैस कंपनियां ऐसे मानदंडों का अनुपालन करतीं हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करती हैं। ओआईएसडी नियमित सुरक्षा संबंधी ऑडिट करता है और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपीज) को नियमित रूप से अद्यतित करता है। एमओपीएनजी ने हाल की घटनाओं से सीख लेते हुए संशोधित आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) – 2021 भी जारी किया है। इसके अलावा, ओआईएसडी ने वर्ष 2021-22 में ईएंडपी प्रचालकों के लिए 'सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली' पर वेबीनार और 'जागरुकता कार्यक्रम' आयोजित किए हैं।

***